BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 508/2025

IN THE MATTER OF:

PURAN **…APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **…RESPONDENT(S)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY R-6, DIVISIONAL FOREST OFFICER, MATHURA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 12.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE REVENUE RECORDS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE SITE INSPECTION REPORT DATED 07.04.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2.	
4.	A COPY OF THE LETTER/REPORT DATED 18.04.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-	

	3	
5.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 01.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF GOVERNMENT ORDER DATED 21.01.2018 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE ORDER DATED 09.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF THE ORDER DATED 18.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 01.07.2026

Place: Noida

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 508/2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

PURAN …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

<u>RESPONSE BY R-6, DIVISIONAL FOREST OFFICER, MATHURA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 12.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL</u>

I, **<u>Venkata Sreekar Patel</u>** aged about **<u>34</u>** years, S/o Shri **<u>Venkata Prabhakar Patel</u>**, posted as D.F.O., Mathura, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. In the present Original Application, the applicant has alleged that Khasra Nos. **632 (ख)** and **637 (ख)**, situated in Village Jatipura, Tehsil Govardhan, District Mathura, are **Reserved Forest Land**. It is further alleged that the said Khasra numbers have been encroached upon by certain private persons, who have carried out illegal construction in the form of a permanent boundary wall. The applicant has also alleged that, while constructing the said boundary wall, trees of *Peelu* variety standing on the said land have been illegally felled.

REPLY IS AS FOLLOWS

I. NATURE OF THE SITE IN QUESTION AS PER THE REVENUE RECORDS

4. That, it is most humbly submitted that the site in question in the present Original Application alleged to be Reserved Forest are **Khasra Nos. 632 (ख)** and **637 (ख)** admeasuring **0.052 hectares** and **0.073 hectares** respectively situated at Village Jatipura, Tehsil Govardhan, District Mathura. Further it is submitted that the **Khasra Nos. 632 (ख)** and **637 (ख)** are recorded in the

Revenue Records as **'Forest Land'** however they have not been notified as **'Reserved Forest'** under the Indian Forest Act, 1927.

Copies of the Revenue Records are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-1***.

II. FACTUAL POSITION REGARDING THE SITE IN QUESTION

5. That, it is respectfully submitted that as mentioned in the para above, **Khasra Nos. 632 (ख)** and **637 (ख)** continues to be recorded in the name of the Forest Department in the revenue records. It is further submitted that a *samadhi* existed at the site prior to the year **1980**, and later boundary walls and rooms were also constructed where **Sant Jagdanand** was residing and the premises were being used by Sadhus for prayer. Upon the demise of Sant Jagdanand on **19.03.2025**, his disciple, **Shri Chaitanya Krishan Das**, along with other Sadhus and certain residents of Village Jatipura, started asserting claims over the said site. In this regard, Shri Chaitanya Krishan Das submitted a representation dated **29.03.2025** before the S.D.M., Govardhan (*kindly refer to the Original Application at page 27*), and several other representations were also submitted by different persons before the concerned authorities (*kindly refer to the Original Application at pages 53–61*), the details whereof are not being repeated herein for the sake of brevity. It is further submitted that, as informed by local residents, the old boundary wall on the western side

of the existing construction had collapsed due to its age, and the debris was thereafter cleared by the Sadhus residing at the site.

6. That, a site inspection of the site in question was conducted by the Lekhpal, Mauja Jatipura, and a report dated **07.04.2025** along with a Nazri Naksha was submitted to the S.D.M., Govardhan. In the said Nazri Naksha, **the four sides of the site have been denoted as AB, BC, CD, and DA**. During the inspection, it was observed that a boundary wall existed on **three sides, namely AB (27.60 meters), BC (31.60 meters), and CD (27.60 meters), whereas on the fourth side, i.e., side DA (western side, measuring 31 meters), no boundary wall was found to exist at the time of inspection**. It is further submitted that a subsequent site inspection of the site in question was again carried out by the Deponent Department, and thereafter, the R.F.O., Govardhan, vide letter no. **277/33-1** dated **18.04.2025**, submitted inspection report to the S.D.M., Govardhan.

Copies of the site inspection report dated 07.04.2025 and the letter/report dated 18.04.2025 are annexed herewith and marked as ***Annexure-2, and Annexure-3*** respectively.

III. REGARDING UNAUTHORISED CONSTRUCTION OF THE PERMANENT BOUNDARY WALL AT THE SITE IN QUESTION AND ALLEGATION OF THE APPLICANT REGADING ILLEGAL TREE FELLING

7. That, it is humbly submitted that the reconstruction of the boundary wall on the western side of the construction was started around April 2025 by Shri Chaitanya Krisha Das and other saints, and basis of the complaints given by the applicant, authorities stopped the works at multiple instances however seeking right opportunity they finished the construction of the boundary wall.
8. That, the deponent department conducted a further site inspection of the site in question on **01.09.2025**, during which the occupiers were requested to vacate the Forest Department land; however, they refused to do so, asserting their claim over the said land. It is further submitted that, during the said inspection, the words *"**This Land Belongs To The Forest Department**"* were painted on the walls at the site. It was also observed in the said report that **no tree felling had taken place during the reconstruction of the boundary wall on the western side of the site, and the trees existing at the site earlier were found to be in the same condition**.

A copy of the inspection report dated 01.09.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

IV. LEGAL ACTION INITIATED AGAINST THE ENCROACHERS

9. That, under **Para A(i) of the Government of India Order No. F. 11-42/2017-FC** dated **21.01.2018**, it has been provided as follows:

"...i. Diversion of forest land for non-forestry purposes without the prior approval of the competent authority in the state will be dealt under the

provisions of Indian Forest Act 1927 or State Forest Acts or any other State act dealing with such land as the case may be. The land in question will not be considered as diverted under FCA 1980 and the status of land shall continue to be Forest…"

A copy of Government Order dated 21.01.2018 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

10. That, in compliance of the Government Order mentioned above, Deponent Department filed **Eviction Suit No. 1797/2026** under **Sections 4, 5, 6 and 7 of the U.P. Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972** before the learned **S.D.M., Govardhan for eviction of unauthorized occupants from the land in question and for removal/demolition of the illegal construction raised thereon**.

11. That, vide disposing the aforementioned suit, learned S.D.M., Govardhan vide order dated **09.04.2026** has directed as follows:

"…अतः विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन को मौजा जतीपुरा के खसरा सं० 632ख रकवा 0.0520हे० व खसरा सं० 637ख रकवा 0.0730हे0 के आंशिक भाग पर किये गये नई दीवार पक्की पश्चिम दिशा की ओर को अनाधिकृत संख्यासन से बेदखल किया जाता है एवं क्षतिपूर्ति के रूप मे 100 रू० प्रतिदिन के हिसाब से वन क्षेत्रीय अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक रूप से बेदखल करने के दिनांक तक आरोपित किया जाता है।तद्नुसार हर्जाना वसूली एवं बेदखली कार्यवाही हेतु प्रपत्र ख जारी किया जाए।इस आदेश की दो प्रतियाँ मय

प्रपत्र ख तहसीलदार गोवर्धन को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति विपक्षी पर नियमानुसार विधिवत तामील करायें तथा दूसरी प्रति विवादित स्थल पर चस्पा करायें तथा बाद तामील एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जावें।बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।।."

A copy of order dated 09.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-6***.

12. That, in furtherance of the above order, **Civil Appeal No. 32/2026** has been preferred by Shri Chaitanya Krisha Das before the Ld. District Judge, Mathura wherein the Learned District Judge vide order dated 18.05.2026 has been pleased to stay the eviction order till further proceedings.

A copy of the order dated 18.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-7***.

13. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.
14. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY ... SINGH, Advocate ... GOVT. OF INDIA

20/06/26.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Mathura on this 01 day of July 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

30/06/26.

DEPONENT

NOTARY
RAMVEER SINGH, Advocate
8864
01-7-2026
GOVT. OF INDIA

RAMVEER SINGH, Advocate
Notary Distt. Court, MATHURA
01-7-2026

The Contents of the affidavit or documents read over & explained Shri VENKATA SREEKAR PATEL who is identified by Shri MY SELF & on oath attested today on 01-7-2026 at my office & notted down in my noterial register at No. 8864 charged fees.......

RAMVEER SINGH, Advocate
Notary Mathura

ANNEXURE-1 291

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

13/October/2025 02:55:29 PM

जनपद : मथुरा
ग्राम कोड : 124226

तहसील : गोवर्धन
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : जतीपुरा
खाता संख्या : 00369

श्रेणी : 5-3-क/कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
632ख	1) वनविभाग / --- / ---		1401फ.	**632ख (1242260632200253)**	0.0520	1) 1/1	1) 0.0520	0.00

अप्रमाणित प्रति

0.0520	

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच दो शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य पांच दो शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे॰)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे॰)

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

Hindi

← Back

भूलेख - खतौनी

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

जनपद : मथुरा
ग्राम कोड : 124226

तहसील : गोवर्धन
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : जतीपुरा
खाता संख्या : 00369

अप्रमाणित प्रति

श्रेणी : 5-3-क/कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
637ख	1) वनविभाग / --- / ---		1401फ.	637ख (124226063720025З)	0.0730	1) 1/1	1) 0.0730	0.00

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

		0.0730	

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात तीन शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात तीन शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

श्रीमान

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखण्डी जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा जतीपुरा परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन कदमखण्डी में निवासरत रहे सन्त जगदानन्द जी की मृत्यु उपरान्त (मृत्यु 13/03/2025) आश्रम में निवासरत सन्त साधुओं को, आश्रम भूमि, देवस्थान राजस्थान की भूमि बताकर जतीपुरा निवासी श्यामगोपाल व नन्दू व ललितमोहन द्वारा परेशान किये जाने की शिकायत की है। आपके आदेश के अनुपालन में उभयपक्षों व सभ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में पैमाइश की गयी। जाँच आख्या निम्नवत है।

शिकायत कर्ता द्वारा जिस स्थल को सन्त जगदानन्द का आश्रम बताया जा रहा है। उस स्थल को प्रतिपक्षी देवस्थान राजस्थान की भूमि बताते हैं। जबकि उक्त स्थल मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या 637, 632 के अन्तर्गत है। खसरा 637क रकबा 0.533 है0 शैक्षिक नम्बर 637ख रकबा 0.073 है0 वन विभाग दर्ज राजस्व अभिलेख है। खसरा संख्या 632क 1.141 है0 शैक्षिक नम्बर 632ख 0.052 है0 वन विभाग दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रार्थना पत्र में वर्णित स्थल नजरी नक्शा में ABCD से प्रदर्शित है। भुजा AB 27.60 मी0, BC 31.60 मी0, CD 27.60 मी0 तथा भुजा DA 31 मी0 है। भुजा AB, BC, CD पर पक्की/कच्ची दीवार बनी है। प्रतिपक्षी को भी उक्त के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है।

महोदय, जैसा आख्या अग्रसारित

महोदय, अग्रसारित

09/04/25

09/04/25

...4-2025

वन रेंजर,

कृ0 कार्यवाही 3 दिवस में कराना दें।

SDM ...4.2025

True Typed Copy

श्रीमान,

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखंडी जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा जतीपुरा परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन कदमखंडी में निवासरत रहे संत जगदानन्द जी की मृत्यु परांत (मृत्यु 13/03/25) आश्रम में निवासरत संत साधुओं को आश्रम भूमि, देवस्थान राजस्थान की भूमि बताकर जतीपुरा निवासी नृत्यगोपाल उर्फ़ चंदू व ललित मोहन द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की है। आपके आदेश के अनुपालन में उभयपक्षों व सभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में पैमाइश की गई। जांच आख्या निम्नवत है।

शिकायतकर्ता द्वारा जिस स्थल को संत जगदानन्द का आश्रम बताया जा रहा है उस स्थल को प्रतिपक्षी देवस्थान राजस्थान की भूमि बताते हैं। जबकि उक्त स्थल मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या 637,632 के अंतर्गत है। खसरा 637क रकबा 0.599 हेक्टेयर रक्षित वन एवं 637ख रकबा 0.073 हेक्टेयर वन विभाग दर्ज राजस्व अभिलेख है। खसरा संख्या 632 क 1.141हेकटे रक्षित वन एवं 632 ख 0.052 हेक्टे वन विभाग एवं राजस्व अभिलेख है। प्रार्थना पत्र में वर्णित स्थल नजरी नक्शा में ABCD से प्रदर्शित है। भुजा AB 27.60 मीटर, BC 31.60 मीटर, CD 27.60 मीटर, भुजा DA 31 मीटर है। भुजा AB,BC,CD पर पक्की पुख्ता दीवार बनी है प्रतिपक्षी को भी उक्त के संबंध में अवगत करा दिया गया है।

महोदय,

परगना व तहसील मथुरा

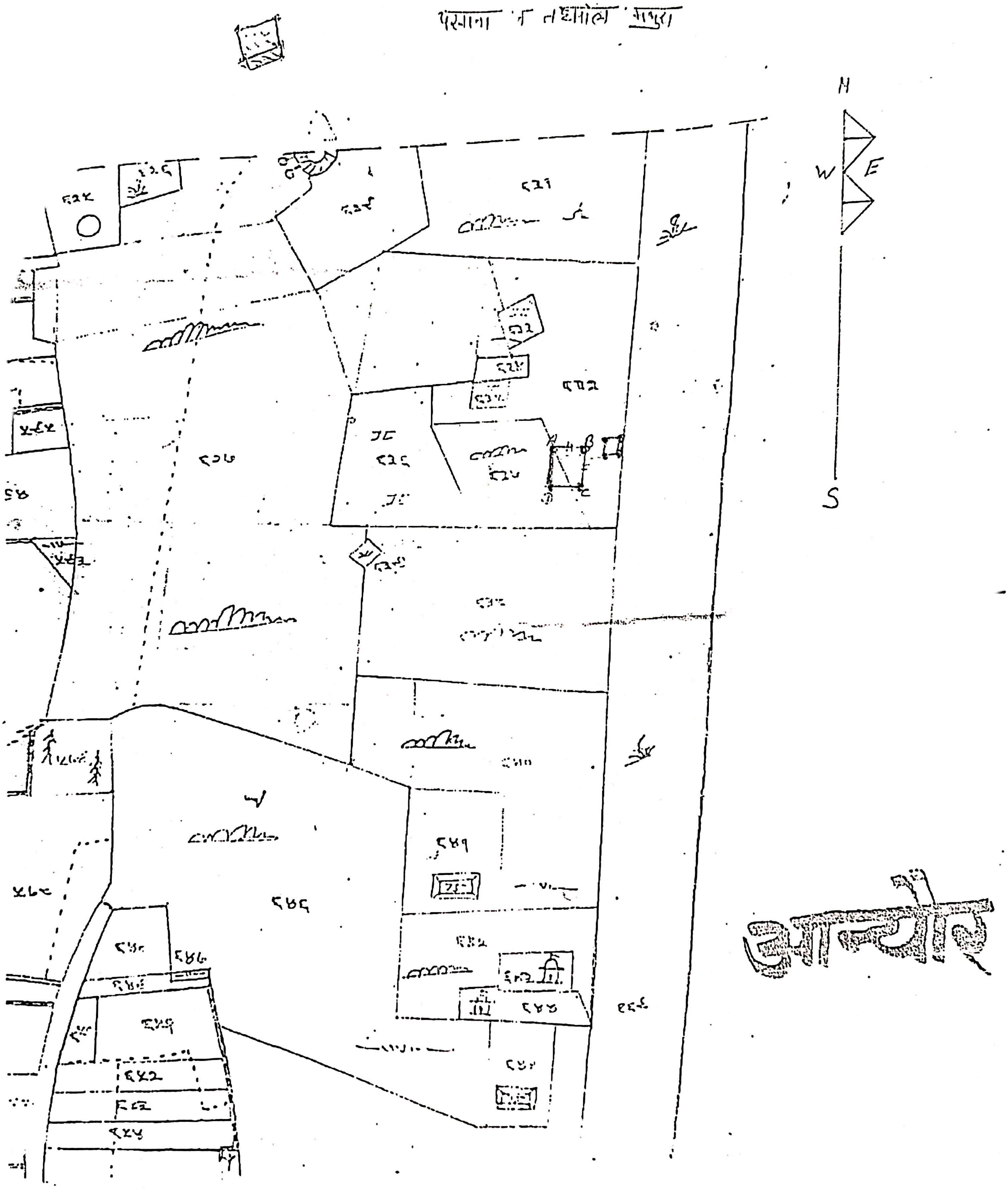

मानचित्र
सुरक्षित वन सीमा
ग्राम-जतीपुरा
परगना व तहसील- मथुरा
जिला-मथुरा
पैमाना - १६"=१ मील
जिला भरतपुर राजस्थान
गोवर्धन गोरवाँ
उत्तर
M-5-9
Vol:-12/44
सीमा ग्राम आनौर
— सूची —
वन सीमा मय स्तम्भ
आबादी
रास्ता
कुँआ
अनुरेखक राधेश्याम शर्मा
मानचित्रक
सर्वेक्षणकर्ता
वन बन्दोबस्त अधिकारी
आगरा

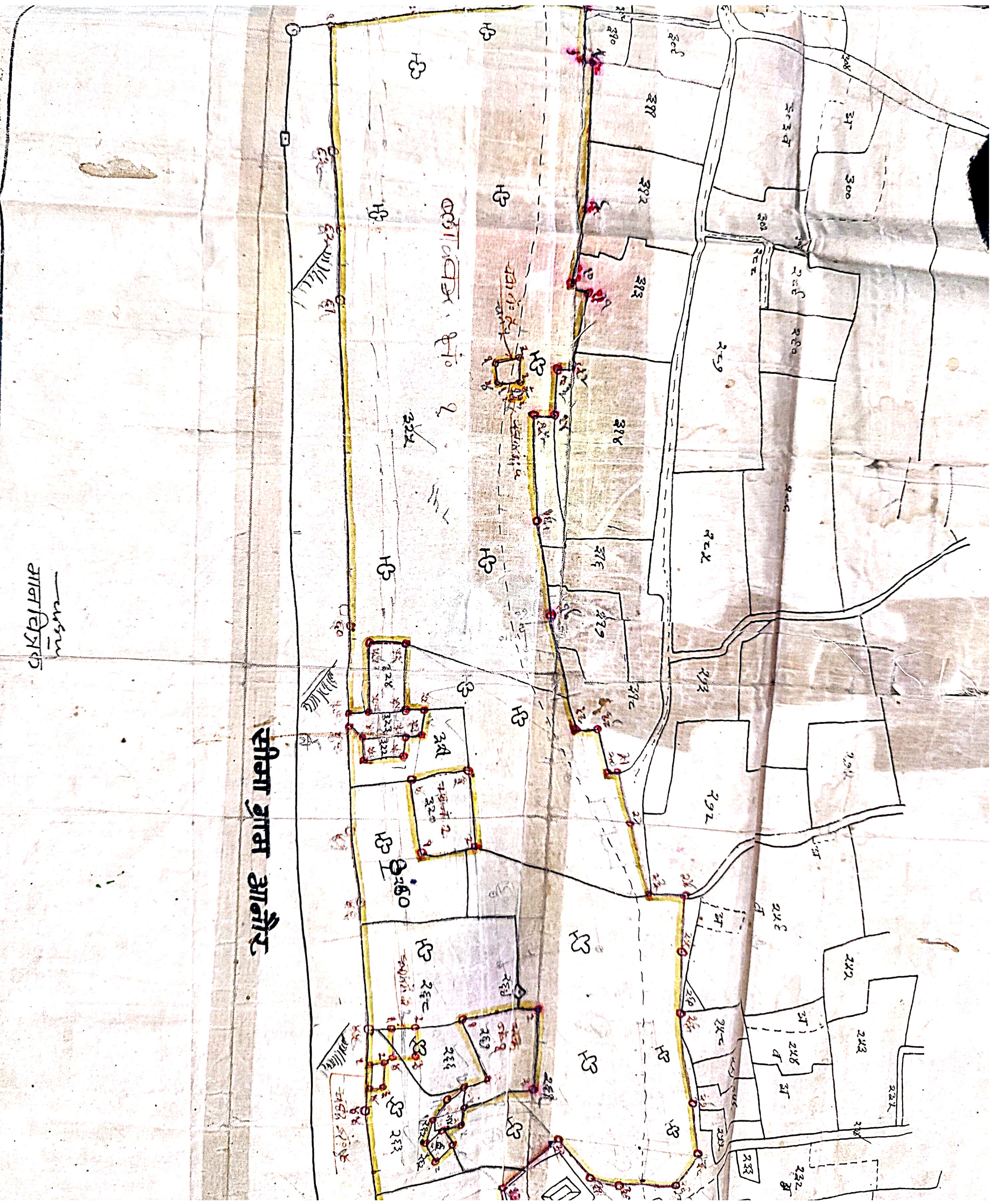
सीमा ग्राम आनौर

 ANNEXURE-3

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

पत्रांक 277/33-1 गोवर्धन, दिनांक 18/04/2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी

गोवर्धन, मथुरा।

विषयः– श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखंडी जतीपुरा गोवर्धन के प्रार्थना पत्र की जाँच आख्या।

सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक 09.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त शिकायत व लेखपाल की आख्या के अनुसार श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखंडी जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा जतीपुरा परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन कदमखंडी में निवासरत रहे सन्त जगदानन्द जी की मृत्यु उपरांत (मृत्यु 19.03.2025) आश्रम में निवासरत रहे सन्त साधुओं को आश्रम भूमि, देवस्थान राजस्थान की भूमि बताकर जतीपुरा निवासी कुछ व्यक्तियों द्वारा परेशान करने की शिकायत पर लेखपाल द्वारा उपरोक्त भूमि की पैमाइश की गयी है। जिसकी आख्या में लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त स्थल मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या 637, 632 के अंतर्गत है। जो वन विभाग दर्ज राजस्व अभिलेख है। आपके आदेश के अनुपालन में उक्त प्रकरण की जाँच श्री आशीष कुमार सिंह वनदरोगा से करायी गयी उनके द्वारा उक्त जाँच वनरक्षक श्री कुशलपाल के साथ मौके पर जाकर की गयी मौके पर उक्त स्थल वन विभाग के मानचित्र के अनुसार जतीपुरा वन ब्लॉक (ब्लॉक नं0 1) में खसरा संख्या पुराना 263,266,268 के अंतर्गत चक संख्या 3 के रूप में प्रदर्शित है। जिसके चारों कोनों पर 4 सीमा स्तम्भ (1,2,3,4,) लगे हुये हैं जो चक संख्या 3 वन विभाग की सीमा में नही है, मौके का नजरी नक्सा संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त चक संख्या 3 के रूप में प्रदर्शित भूमि पर सन्त जगदानन्द जी निवासरत थे जिनकी मृत्यु उपरांत वर्तमान में सन्त श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासरत हैं।

अतः जाँच आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

गोवर्धन रेंज

Seen

SDM

True Typed Copy

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

पत्रांक 277/33-1 गोवर्धन, दिनांक 18/04/2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
गोवर्धन, मथुरा।

विषयः- श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखंडी जतीपुरा गोवर्धन के प्रार्थना पत्र की जाँच आख्या।

सन्दर्भः- आपका पत्र दिनांक 09.04.2025

महोदय,

उपरोक्त शिकायत व लेखपाल की आख्या के अनुसार श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासी कदमखंडी जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा जतीपुरा परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन कदमखंडी में निवासरत रहे सन्त जगदानन्द जी की मृत्यु उपरांत (मृत्यु 19.03.2025) आश्रम में निवासरत रहे सन्त साधुओं को आश्रम भूमि, देवस्थान राजस्थान की भूमि बताकर जतीपुरा निवासी कुछ व्यक्तियों द्वारा परेशान करने की शिकायत पर लेखपाल द्वारा उपरोक्त भूमि की पैमाइश की गयी है। जिसकी आख्या में लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त स्थल मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या 637, 632 के अंतर्गत है। जो वन विभाग दर्ज राजस्व अभिलेख है। आपके आदेश के अनुपालन में उक्त प्रकरण की जाँच श्री आशीष कुमार सिंह वनदरोगा से करायी गयी उनके द्वारा उक्त जाँच वनरक्षक श्री कुशलपाल के साथ मौके पर जाकर की गयी मौके पर उक्त स्थल वन विभाग के मानचित्र के अनुसार जतीपुरा वन ब्लॉक (ब्लॉक नं० 1) में खसरा संख्या पुराना 263,266,268 के अंतर्गत चक संख्या 3 के रूप में प्रदर्शित है। जिसके चारों कोनों पर 4 सीमा स्तम्भ(1.2.3.4.) लगे हुये हैं जो चक संख्या 3 वन विभाग की सीमा में नहीं है, मौके का नजरी नक्सा संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त चक संख्या 3 के रूप में प्रदर्शित भूमि पर सन्त जगदानन्द जी निवासरत थे जिनकी मृत्यु उपरांत वर्तमान में सन्त श्री चैतन्य कृष्ण दास निवासरत हैं।

अतः जाँच आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

ANNEXURE-4

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

महोदय,

आज दिनांक 01.09.2025 को मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या 632 ख, तथा 637 ख, पर गोवर्धन रेंज के अधीनस्थ स्टॉफ के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अवैध कब्जाधारी श्री चैतन्य कृष्ण दास व अन्य के द्वारा प्रश्नगत विवादित भूमि के पश्चिम दिशा की गिरी बाउण्ड्री बाल का पुर्ननिर्माण कर लिया गया है। मेरे द्वारा अवैध कब्जाधारियों से कब्जा हटा लेने हेतु कहा गया और उक्त विवदित भूमि परिसर की दीवालों पर पेंट द्वारा यह लिखवाया गया कि " यह भूमि वन विभाग की है। " किन्तु अवैध कब्जाधारी पक्ष के द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और प्रश्नगत भूमि पर कब्जे के आधार पर अपना दावा कर रहा है। पूर्व में भी स्टॉफ के द्वारा कई बार कार्य रूकवाया गया किन्तु अवैध कब्जाधारियों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, प्रश्नगत विवादित भूमि के पश्चिम दिशा में गिरी दीवाल के पुर्ननिर्माण के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन नहीं हुआ है। तथा किसी भी वृक्ष को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी है। मौके पर जो वृक्ष जैसे अवस्थित थे अब भी वैसे ही अवस्थित हैं। प्रश्नगत विवादित भूमि के सम्बन्ध में अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध यू0 पी0 पब्लिक प्रेमीसेस (एविक्शन ऑफ अनओथेराइज्ड ऑक्युपेंट्स एक्ट 1972) के अंतर्गत वाद सक्षम प्राधिकृत अधिकारी/उप जिलाधिकारी गोवर्धन के न्यायालय में दायर किया गया है। जो विचाराधीन है।

कुशलपाल सिंह	आशीष कुमार सिंह	ओमवीर सिंह	ओम राव
वनरक्षक	वनदरोगा	वनदरोगा	क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज	गोवर्धन रेंज	गोवर्धन रेंज	गोवर्धन रेंज

F. No. 11-42/2017 – FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbhagh Road,
New Delhi – 110003

Dated: 21th January, 2018

To

The Principal Secretary (forests)
All States/Union Territory Governments

Sub: Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed –regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980.

Sir.

I am directed to invite your kind attention that the Forest Advisory Committee (FAC), constituted under Section 3 of the Forest Conservation Act 1980, while discussing proposals submitted under FC Act 1980, in its meeting held on 25.04.2017 noted with great concern somewhat inconsistent approach adopted by different Regional Empowered Committees of MoEF&CC and FAC itself in case of violations committed by user agencies of forest land in contravention of the provisions of Forest Conservation Act, 1980 and consequently recommending monitory penalty such as penal CA and penal NPV etc. in addition to mandatory compensatory levies. It was observed that the decisions to classify certain activities undertaken by the user agencies as violation and quantum of penalty imposed therein for the similar offence are different on different occasions due to absence of common guidelines.

2. It was, therefore, decided by the FAC to constitute a Committee of APCCF (central) Regional Offices, MoEF&CC and a member of the FAC to examine various aspects and different situations and activities which will constitute violations of provisions rules and guidelines issued under Forest Conservation act 1980 and suggest penalty in various situations, if the activities are treated as violation and thus as offence so as to dissuade the user agencies from committing such violations in future and compensate the loss caused due to such violation.

3. Accordingly on the recommendation of FAC, the following Committee was constituted vide this Ministry's letter of even number dated 05.06.2017.

i. Dr. Tejinder Singh, APCCF, Regional Office, Bhopal;	Chairman
ii. Dr. Sanjay Deshmukh, Member, FAC;	Member
iii. Sh. Kanwarjit Singh, APCCF, Regional Office, Nagpur;	Member
iv. Sh. MRG Reddy, APCCF, Regional Office, Chennai;	Member

4. The Committee submitted its recommendations to the Ministry on 15.05.2017 and the same was discussed in the Ministry and the final recommendation of the Committee was placed before the Forest Advisory Committee in its meeting dated 26.10.2017. The recommendation of the Committee was accepted and recommended by the FAC. The recommendations of FAC was placed before the competent authority in the Ministry. The

Sd/- 24.1.18

competent authority has accepted the report of the Committee on the recommendation of the FAC.

3. Accordingly, this Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:

A. In cases where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC:

i. Diversion of forest land for non-forestry purposes without the prior approval of the competent authority in the state will be dealt under the provisions of Indian Forest Act 1927 or State Forest Acts or any other State act dealing with such land as the case may be. The land in question will not be considered as diverted under FCA 1980 and the status of land shall continue to be Forest.

ii. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes have been granted by the state authority without the prior approval of the central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing the diversion. A report with full details of violation shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF & CC.

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.

iii. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.

iv. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.

C. Violation /non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act:

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time:

i. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.

ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.

Violation on account of change of land use in the approved mining plan:

i. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.

ii. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.

iii. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para D(ii).

E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma) 29.1.18

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines/Coal/Steel/Power, Government of India.
3. Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
4. Nodal Officers, the Forest (Conservation) Act, 1980 All States/UTs.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, New Delhi.
7. PS to Hon'ble Minister of Environment, Forests and Climate Change and Minister of State for Environment, Forests and Climate Change.
8. Chairman, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs.
9. Member Secretary, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs
10. All Directors/Assistant Inspector General of Forest in Forest Conservation Division of MoEF&CC.
11. All Advisors/Directors/Dy Directors in Impact Assessment Division of MoEF&CC.
12. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
13. PPS to the Secretary for Environment, Forests and Climate Change, New Delhi.
14. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF&CC, GoI.
15. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.
16. PPS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.
17. Guard File.

(Sandeep Sharma) 29.1.18

Assistant Inspector General of Forests

ANNEXURE-6

Printed at: 09-04-2026 10:17 AM

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,गोवर्धन
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :गोवर्धन
वाद संख्या :-1797/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601500601797
उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास
अंतर्गत धारा:- 4, अधिनियम :- उ0 प्र0 लोक परिसर (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972

आदेश

मौजा—जतीपुरा

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट दिनांकित 02—08—2025 के आधार पर प्रारम्भ हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 02—08—2025 में उल्लेख किया है कि मौजा जतीपुरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा के अन्तर्गत विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर गोवर्धन (हाल निवासी गाटा संख्या—632ख व 637ख मौजा—जतीपुरा, गोवर्धन व अन्य नाम पता अज्ञात हाल निवासी गाटा संख्या 632ख व 637ख मौजा जतीपुरा गोवर्धन के विरूद्ध यू0पी0पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन ऑफ अन ओथेराईज्ड ओक्क्यूपेन्टस एक्ट 1972) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करके वन विभाग के नाम दर्ज उक्त सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति जिसको संलग्न नजरी नक्शा जिसे अ,ब,स व द से दर्शाया गया है, पर विपक्षीगण या जो भी अनाधिकृत कब्जे में पाया जाये को अवैध कब्जे से बेदखल करने एवं उक्त सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के वास्तविक हकदार उत्तर प्रदेश वन विभाग को कब्जा दिलाये जाने के समुचित आदेश पारित कर प्रार्थी को वास्तविक आधिपत्य दिलाया जाये। वर्तमान मे राजस्व अभिलेखों मे गाटा संख्या 632ख रकवा 0.0520हे0 व 637ख रकवा 0.0730हे0 पर वन विभाग दर्ज है। वन विभाग सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नही होंगे। जिस पर किसी व्यक्ति, उसके स्वरूप मे परिवर्तित करने का, उसका भराव करने तथा उसमें भवन निर्माण करने का अधिकार नही है। उक्त में संलग्न सूची के अनुसार चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी बगोविन्द कुण्ड आन्यौर ने इस सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध रूप से नई दीवार/बाउन्ड्रीवाल बनाई गई है। जिसका नजरी नक्शा तथा अवैध कब्जे की भूमि की चौहद्दी अंकित करते हुए बेदखल किए जाने हेतु आंख्या प्रेषित की गई है।

उक्त आख्या के आधार पर दिनांक 24—02—2026 को न्यायालय मे वाद दर्ज कर विपक्षी को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी जिसकी तामील विपक्षी पर होने

के उपरान्त नियत दिनांक पर प्रतिवादी बावजूद सूचना व समुचित अवसर देने के उपरान्त भी न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। वन विभाग की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आज तक उपस्थित नही हुआ है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06–04–2026 को विपक्षी के साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर समाप्त करने के उपरान्त भी विपक्षी को दिनांक 07–04–2026 की तिथि सुनवाई हेतु दी गई, किन्तु विपक्षी/प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ। वादी के विद्वान अधिवक्ता हाजिर आये। मौखिक बहस की गई। मौके के नक्शा, फोटोग्राफ व खतौनी दाखिल की गई जो संचित पत्रावली है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के विस्तृत बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अभिलेखो एवं तहसीलदार गोवर्धन की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है, कि मौजा जतीपुरा के खसरा सं0 632ख रकवा 0.0520हे0 व खसरा सं0 637ख रकवा 0.0730हे0 पर श्रेणी 5–3क वन विभाग के रूप मे दर्ज कागजात है जिस पर विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के आंशिक भाग में पश्चिम भाग पर नई दीवार बनाकर पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन मे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और समुचित अवसर देने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। प्रतिवादी द्वारा विवादित सार्वजनिक सम्पत्ति खसरा सं0 632ख रकवा 0.0520हे0 व खसरा सं0 637ख रकवा 0.0730हे0 के आंशिक भाग पर नई दीवार का निर्माण कर सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जे से बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विपक्षी चेतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास निवासी गोविन्द कुण्ड आन्यौर, गोवर्धन को मौजा जतीपुरा के खसरा सं0 632ख रकवा 0.0520हे0 व खसरा सं0 637ख रकवा 0.0730हे0 के आंशिक भाग पर किये गये नई दीवार पक्की पश्चिम दिशा की ओर को अनाधिकृत अध्यासन से बेदखल किया जाता है एवं क्षतिपूर्ति के

Printed at: 09-04-2026 10:17 AM

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,गोवर्धन
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :गोवर्धन
वाद संख्या :-1797/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202601500601797
उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम चैतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास
अंतर्गत धारा:- 4, अधिनियम :- उ0 प्र0 लोक परिसर (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972

—3—

रूप मे 100 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से वन क्षेत्रीय अधिकारी गोवर्धन रेंज मथुरा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक रूप से बेदखल करने के दिनांक तक आरोपित किया जाता है। तद्नुसार हर्जाना वसूली एवं बेदखली कार्यवाही हेतु प्रपत्र ख जारी किया जाए। इस आदेश की दो प्रतियॉ मय प्रपत्र ख तहसीलदार गोवर्धन को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति विपक्षी पर नियमानुसार विधिवत तामील करायें तथा दूसरी प्रति विवादित स्थल पर चस्पा करायें तथा बाद तामील एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जावें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः— 09/04/2026

(प्रजाक्ता त्रिपाठी),
उपजिलाधिकारी, गोवर्धन
मथुरा।

पृष्ठ संख्या :

25

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

सिविल अपील/ प्रकीर्ण सिविल अपील / रिवीजन संख्या-32/2026

सन्त चैतन्य कृष्णदास........ अपीलान्ट/ पुनरीक्षणकर्ता

(अधिवक्ता श्री........)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आदि..प्रत्यर्थी

(अधिवक्ता श्री.......................................)

आदेश पत्र

दिनांक-21/4/26 आज सिविल अपील/ प्रकीर्ण सिविल अपील / रिवीजन प्रस्तुत हुआ। सदर ... की रिपोर्ट के अनुसार परिसीमा एवं अधिकार सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत हैं। न्याय शुल्क पर्याप्त है।

21.04.2026

पत्रावली अंगीकरण के बिंदु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रकीर्ण सिविल अपील के अंगीकरण के बिंदु पर सुना तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।

यह प्रकीर्ण सिविल अपील, सिविल वाद संख्या-1797/2026 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चैतन्य कृष्णदास चेला जगदानन्द दास में न्यायालय उपजिलाधिकारी, गोवर्धन, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित-09.04.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी को मौजा जतीपुरा के खसरा संख्या-632 ख, रकवा-0.0520 हे० व खसरा संख्या-637 ख, रकवा-0.073 हे० के आंशिक भाग पर किये गये नयी दीवार पक्की पश्चिम दिशा की ओर को अनाधिकृत अध्यासन से बेदखल करते हुये 100/-रू० प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक से वास्तविक दखल तक दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित किये जाने योग्य है। अतः अंगीकृत की जाती है। दर्ज हो। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी हो। पैरवी 7 दिवस के भीतर की जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक-18.05.2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 21/04/26

(राम किशोर पाण्डेय)
कृते जिला न्यायाधीश,
मथुरा।
I.D. No. UP 6052

प्रार्थनापत्र 5 ग पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से 5 ग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दौरान सुनवाई प्रकीर्ण सिविल अपील विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-09.04.2026 के क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र 5 ग पर दूसरे पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 5 ग नियत दिनांक को पेश हो।

(हस्ताक्षर) 21/04/26

(राम किशोर पाण्डेय)
कृते जिला न्यायाधीश,
मथुरा।
I.D. No. UP 6052

29/04/2026

आज प्रा.पत्र 10ग द्वारा अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मय शपथपत्र 11ग आदेश दि० 09/04/2026 को स्थगित किये जाने हेतु पेश हुआ। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा नकल लेने से इन्कार किया गया। प्रार्थनापत्र 10ग बाबत सुनवाई पूर्व नियत तिथि को प्रस्तुत हो।

कृते जनपद न्यायाधीश,
मथुरा

18.05.2026

On application 5C/10C supported by affidavit 6C & 11C respectively, Ld. Counsel of appellant side is being heard.

Ld. Counsel of appellant has mainly submitted that trial Court passed the impunged Order dt. 09.04.2026 for evicting the appellant from the property in question. The said order has been passed without considering the evidence available on record. It is further submitted that the respondent side is bent upon forcibly demolishing and destroying the said property . In such a situation, prayer is made that the impugned order be stayed till the pendency of this appeal, otherwise the appellant will suffer irreparable loss.

15/7/26

The ordersheet shows that Respondent side has denied to receive the notice/copy.

Since the appeal is admitted, therefore, in view of all the facts and circumstances of this case, it is appropriate to direct both the parties to maintain the status quo regarding the property in question till the next date fixed.

(Vikas Kumar - I)
District Judge, Mathura
I.D. No. UP1910

प्रमाणित प्रतिलिपि

जनपद एवं सत्र न्यायालय, मथुरा

20 MAY 2026